

नम्बर
अहकाम
तामिल

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - डॉ. इंद्रजीत यादव (आई.ए.एस.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 04/2026 (जीसीएमएस 2026/52) सरकार बनाम राजेन्द्र पटेल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
24-04-2026	<p>उपस्थित -</p> <ol style="list-style-type: none">श्री शोयब शेख, अधिवक्ताअभियोजन अधिकारी <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p style="text-align: right;">दिनांक 24-04-2026</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र वाहन स्वामी प्रार्थी राजेन्द्र पटेल पिता कडवा पटेल निवासी भुराकुंआ पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा के वाहन महिन्द्रा सुप्रीमो मेक्सी ट्रक टी2 रजिस्ट्रेशन सं. RJ03 GA 5965 जो भार साधक अधिकारी, पुलिस थाना कुशलगढ जिला बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 76/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम के तहत जब्त किया था को सुपूर्दगी बाबत प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा से वाहन के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>दिनांक 24.04.2026 थानाधिकारी पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा की रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2026 को अवैध गौ वंश से भरी पिकअप बांसवाडा से सज्जनगढ की तरफ आने की सूचना प्राप्त होने पर नाकाबंदी कर बांसवाडा की तरफ से एक पिकअप टेम्पो RJ03 GA 5965 आया उसको रुकवाया जाकर टेम्पो को चैक करने पर अन्दर पीछे डाले में दो गाये एवं बछड़े भरे हुए थे। डाले के अन्दर कोई चारे पानी की व्यवस्था नहीं की हुई पाई। वाहन चालक एवं उसके पास बैठे अन्य व्यक्ति से पुछताछ पर गायो एवं बछड़ो को मोना डूंगर कुछ समय बाद अपने गांव सियाखुटा ले जाना एवं चालक झालोद तक का भाडा करना बताया। जिससे प्रतित होता है कि उक्त दोनो व्यक्ति पिकअप टेम्पो में भरी गाये एवं बछड़ो को अन्य प्रयोजन से ले जाना प्रतित होने, एक छोटे टेम्पो में दो गाये एवं दो बछड़े भरकर ले जाना क्रुरता होने से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 का अपराध होने से पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण में प्रयुक्त वाहन टेम्पो नं. RJ03 GA 5965 जब्त किया गया तथा गौवंश दो गाय व दो बछड़ियों का स्वास्थ्य परिक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। आरोपी विपुल व विनेश से अनुसंधान पुछताछ की गई। अनुसंधान से दोनो आरोपीगण विपुल पिता कान्तु डिण्डोर निवासी भुराकुंआ थाना सज्जनगढ, विनेश पिता</p>	

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

कला भीलवास निवासी छियाखुंटा पुलिस थाना कसारवाडी जिला बांसवाडा के विरुद्ध अपराध धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रमाणित होने से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में जब्त वाहन टेम्पो के स्वामी राजेन्द्र पटेल पुत्र कडुवा पटेल निवासी भूराकुआ से अनुसंधान किया गया जिससे वाहन स्वामी द्वारा अपना वाहन गोवंश की तस्करी में उपयोग हेतु दिया जाना पाया गया। अतः अनुसंधान से आरोपी राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध अपराध धारा 6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रमाणित होने से आरोपी राजेन्द्र पटेल को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रमाणित है। प्रकरण के अनुसंधान में जब्तशुदा वाहन की आवश्यकता नहीं है।

हस्तगत प्रकरण के पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 76/2026 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण किया जाना उचित प्रतित होता है।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावे।

इस पर वाहन स्वामी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपूर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा सुप्रीमो मेक्सी ट्रक टी 2 रजिस्ट्रेशन सं. **RJ03 GA 5965** को रिलीज कराने की कृपा करावे। इसी इशतदुआ के साथ वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में थानाधिकारी थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक दिनांक 06.04.2026 को अवैध गौ वंश से भरी पिकअप बांसवाडा से सज्जनगढ की तरफ आने की सूचना प्राप्त होने पर नाकाबंदी कर रुकवाने पर एक वाहन महिन्द्रा सुप्रीमो मेक्सी ट्रक टी 2 रजिस्ट्रेशन सं. **RJ03 GA 5965** में दो गाये एवं बछड़े भरे हुए पाए गये। थानाधिकारी अनुसार डाले के अन्दर कोई चारे पानी की व्यवस्था नहीं की हुई थी।

इस प्रकार प्रकरण में असुरक्षित तरीके से गौवंश परिवहन किया जा रहा था, जिससे परिवहनरत गौवंश पर शारीरिक पीडा एवं गम्भीर क्षती कारित हुई है। इस कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत होना दर्शित है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन एवं मनन किया। संशोधित अधिनियम की 2018 की धारा 6 (क) की उपधारा (2) में उपधारा (1) निर्दिष्ट प्रवहण के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्व में इस परन्तुक के अधिन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 76/2026 धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में वाहन स्वामी राजेन्द्र पटेल पिता कडवा पटेल निवासी भुराकुंआ पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा द्वारा जुर्माना राशि रुपये 10000/- अक्षरे दस हजार रुपया मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा सुप्रीमो मेक्सी ट्रक टी 2 रजिस्ट्रेशन सं. RJ03 GA 5965 को रुपये 500000/- अक्षरे पाँच लाख रुपया मात्र की जमानतनामा एवं सुपूर्दगीनामा पर निम्नानुसार विहित शर्तों -

1. सक्षम न्यायालय में दौरान सुनवाई उक्त वाहन किसी अन्य को अन्तर्गत या हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
2. सक्षम न्यायालय में दौरान सुनवाई वाहन के रंग रोगन और मॉडल में परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जावेगा।
3. सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त वाहन तलब किये जाने पर वाहन स्वामी/ सुपूर्ददार स्वयं के खर्च पर उक्त वाहन माननीय न्यायालय में पेश करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्तों पर सुपूर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित वाहन स्वामी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/ रसीद व अपेक्षित जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा सुप्रीमो मेक्सी ट्रक टी 2 रजिस्ट्रेशन सं. RJ03 GA 5965 को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना सज्जनगढ जिला बांसवाडा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-04-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रंजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाडा (रिज.)
बांसवाडा